डीजी–परिपत्र संख्या– 11 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002
दिनांकः लखनऊः मार्च 11, 2024

विषयः पर्यटको/श्रद्धालुओं के साथ घटित होने वाली घटनाओ के प्रभावी रोकथाम एवं उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

आप भिज्ञ है कि प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के साथ–साथ प्राकृतिक छटा को देखने के लिए देश एवं विदेश के पर्यटक आते है।

प्रदेश में एक ऐसा महौल बना है जिससे काशी, मथुरा, अयोध्या, आगरा, विन्ध्याचल, चित्रकूट, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि स्थानो में भारी संख्या में पर्यटकों एंव श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। ऐसे स्थानों पर कानून–व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रखी जाए ताकि आने वाले पर्यटकों /श्रद्धालुओं में सुरक्षा का भाव विकसित हो।

ऐसे पर्यटको/ श्रद्धालुओं के साथ कोई भी अप्रिय घटना यथा–लूट–पाट, चोरी आदि की आपराधिक घटनायें घटित न हो इसके प्रति पुलिस को सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाये घटित होने पर जहॉ प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल होती है वही दूसरी ओर पर्यटन पर प्रतिकूल सम्भावनाओं के साथ–साथ पर्यटको/श्रद्धालुओं में असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है। इस प्रकार की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु एक कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही किया जाना श्रेयष्कर होगाः–

1. पर्यटक/धार्मिक स्थल राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उनकी सुरक्षा को बनाये रखना हम सबका दायित्व है।
2. पर्यटक/धार्मिक स्थलों पर देश/विदेश के पर्यटको/श्रद्धालुओं का वर्तमान में काफी संख्या में आना–जाना है, उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने से वहां लूट, चोरी आदि का भय बना रहता है, ऐसे स्थलों एवं आने वाले पर्यटको/श्रद्धालुओं की पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिए।
3. पर्यटकों/श्रद्धालुओं के साथ घटित होने वाली घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए, जो इनके साथ होने वाली घटनाओं का तत्परता के साथ कार्यवाही करेंगे।
4. Operation Trinetra के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में अधिक संख्या में सीसीटीवी स्थापित किये गये है। ऐसे पर्यटक/ धार्मिक स्थलों के उपयुक्त स्थानों पर जहॉ सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन नही है, उन स्थानों का चिन्हांकन कर अधिकाधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन कर लिया जाए, ताकि लूट, चोरी आदि की घटनाएं घटित होने पर अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
5. प्रदेश के धार्मिक स्थलों, धरोहरों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अभिसूचना संकलन हेतु लगाया जाए।

6. पर्यटकों/श्रद्धालुओं के साथ पूर्व में हुई घटनाओं के Modus Operandi के आधार पर अपराधियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।
7. पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की सूची अध्यावधिक करा ली जाए तथा उनकी सक्रियता के आधार पर उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।
8. ऐसे अपराधियों के कारित अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक है कि वर्तमान मे क्रियाशील AI Tools, TRINETRA APP, सर्विलांस एवं तकनीकी रूप में विकसित अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाए।
9. प्रदेश में अपराधियों के डाटा बेस संकलन हेतु विकसित TRINETRA APP के तर्ज पर अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के APP विकसित किये गये है। अन्य प्रदेशों के अपराधियों विशेषकर घुमन्तु अपराधियों के चिन्हांकन हेतु उन प्रदेशों में इस प्रकार के विकसित Apps से डाटा मिलान हेतु समन्वय स्थापित कर Prevention एवं Detection की कार्यवाही की जाए।
10. रेलवे ट्रैक, बस स्टेशन आदि स्थलों पर घुमन्तु जाति के अपराधी सक्रिय रहते है तथा सुनसान स्थलों/रेलवे ट्रैक के आस-पास डेरा डालकर रहते है, उनका सत्यापन कराकर उन पर सर्तक दृष्टि रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
11. प्रदेश के धार्मिक स्थलों, धरोहरों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं में विशेषकर महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध यथा- चैन स्नैचिंग, छेड़छाड़ आदि किसी भी घटना की रोकथाम हेतु सादे वस्त्रों में पर्याप्त महिला पुलिस कर्मी की डियूटी लगायी जाए। जिनके द्वारा ऐसे अपराधों/अपराधियों पर सर्तक दृष्टि रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए।
12. जहर खुरानी/टप्पेबाजी गैंग/अपराधी ऐसे स्थलों पर सक्रिय रहते है। इस सम्बन्ध में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं आटो स्टैण्ड आदि स्थलों पर चेकिंग करायी जाए।
13. रेलवे के माध्यम से घुमन्तु अपराधियों के आवागमन को RPF एवं GRP से सामंजस्य स्थापित करते हुए Monitor करें एवं ऐसे अपराधियों के विरूद्ध Apprehension एवं अन्य प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
14. पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर गाईड का कार्य करने वाले, फोटोग्राफर, होटल कर्मियों, ट्रैक्सी ड्राइवर, नाव वालों तथा पर्यटन से जुड़े अन्य व्यक्तियों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन कराया जाए।
15. पर्यटको/श्रद्धालुओं के आवागमन वाले रेलवे स्टेशनों, होटलों, रेस्टोरेन्टों, मॉलों व राइवर कैफे आदि स्थलों पर थाने स्तर से जनपद स्तर तक के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं डॉयल-112 हिन्दी/अंग्रेजी में लिखवा दिये जाए, ताकि सम्भावित घटना की तत्काल सूचना प्राप्त हो, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके।
16. ऐसे धार्मिक स्थलों, धरोहरों का चिन्हांकन कर लिया जाए, जहां अधिक संख्या में पर्यटक/श्रद्धालु भ्रमण करने आते है या ठहरते है के चिन्हांकन के उपरान्त उन क्षेत्रों में नियमित रूप से मोबाइल गश्त, पिंक मोबाइल, डॉयल-112 पीआरवी को क्रियाशील करते हुए समय-समय पर उनका स्थान परिवर्तन भी किया जाए।

17. भीड़–भाड़ एवं संवेदनशील स्थलों पर पिकेट एवं पैदल गश्त हेतु पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाए, जिनके द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उचित कार्यवाही तत्काल की जाए।
18. पर्यटको/श्रद्धालुओं के साथ घटित होने वाली घटना की सूचना मिलने पर त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों को घटना के सम्बन्ध में तत्काल अवगत कराया जाए।
19. पर्यटको/श्रद्धालुओं के साथ मृदु व्यवहार किया जाए एवं उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण किया जाए।
20. महिला पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष रूप से संवेदनशील रहे तथा उनके साथ घटित घटनाओं में शीघ्रतापूर्ण प्रभावी कार्यवाही करायी जाए।
21. घटित घटनाओं की विवेचना करते हुए अपराधियों के विरूद्ध गैगेस्टर, गुण्डा, एनएसए एवं एच0एस0 खोले जाने आदि की प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाए, जिससे की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।
22. ऐसे घटित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए अधिकाधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही करायी जाए।

मैं चाहूँगा कि उपरोक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराते हुए अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

10.3.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।